

सभी कोटि के सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए एकीकृत वार्षिक अवकाश तालिका (संशोधित)–2025

क्रमांक	अवकाश का विवरण	तिथि	अवकाश की संख्या	सप्ताह के दिन
1	शीतकालीन अवकाश	1 जनवरी से 5 जनवरी	4	बुधवार से रविवार
2	मकर संक्रान्ति/सोहराय	14 जनवरी	1	मंगलवार
3	नेताजी सुभाषचंद्र बोस जयंती	23 जनवरी	1	गुरुवार
4	गणतंत्र दिवस	26 जनवरी	0	रविवार
5	बसंत पंचमी	2 फरवरी	0	रविवार
6	संत रविदास जयंती	12 फरवरी	1	बुधवार
7	महाशिवरात्रि	26 फरवरी	1	बुधवार
8	होलिका दहन	13 मार्च	1	गुरुवार
9	होली	14 मार्च	1	शुक्रवार
10	ईद-उल-फितर	31 मार्च	1	सोमवार
11	सरहुल	1 अप्रैल	1	मंगलवार
12	सरहुल (फुलखोंसी)	2 अप्रैल	1	बुधवार
13	रामनवमी	6 अप्रैल	0	रविवार
14	महावीर जयंती	10 अप्रैल	1	गुरुवार
15	डॉ० भीमराव अंबेदकर जयंती	14 अप्रैल	1	सोमवार
16	गुड फ्राइडे	18 अप्रैल	1	शुक्रवार
17	मजदूर दिवस	1 मई	1	गुरुवार
18	बुद्ध पूर्णिमा	12 मई	1	सोमवार
19	ग्रीष्मकालीन अवकाश	22 मई से 4 जून	12	गुरुवार से बुधवार
20	ईद-उल-जूहा (बकरीद)	7 जून	1	शनिवार
21	रथ यात्रा	27 जून	1	शुक्रवार
22	हुल दिवस	30 जून	1	सोमवार
23	मुहर्रम	6 जुलाई	0	रविवार
24	विश्व आदिवासी दिवस/रक्षा बंधन	9 अगस्त	1	शनिवार
25	स्वतंत्रता दिवस	15 अगस्त	1	शुक्रवार
26	जन्माष्टमी	16 अगस्त	0	(तृतीय शनिवार)
27	गणेश चतुर्थी	27 अगस्त	1	बुधवार
28	करमा	3 सितंबर	1	बुधवार
29	करमा (फुलखोंसी)	4 सितंबर	1	गुरुवार
30	मिलाद उल नबी/पैगम्बर मोहम्मद जन्म दिवस	5 सितंबर	1	शुक्रवार
31	विश्वकर्मा पूजा	17 सितंबर	1	बुधवार
32	शारदीय नवरात्र/कलश स्थापना	22 सितंबर	1	सोमवार
33	दुर्गा पूजा (सप्तमी, अष्टमी, नवमी)	29 सितंबर से 1 अक्टूबर	3	सोमवार से बुधवार
34	विजयादशमी/गाँधी जयंती	2 अक्टूबर	1	गुरुवार
35	दीपावली	20 अक्टूबर	1	सोमवार
36	गोवर्धन पूजा	22 अक्टूबर	1	बुधवार
37	भैयादूज/चित्रगुप्त पूजा	23 अक्टूबर	1	गुरुवार
38	छठ (सायं अर्धय)	27 अक्टूबर	1	सोमवार
39	छठ (प्रातः अर्धय)	28 अक्टूबर	1	मंगलवार
40	गुरुनानक जयंती	5 नवंबर	1	बुधवार
41	राज्य स्थापना दिवस	15 नवंबर	0	(तृतीय शनिवार)
42	क्रिसमस डे (बड़ा दिन)	25 दिसंबर	1	गुरुवार
43	शीतकालीन अवकाश	28 दिसंबर से 31 दिसंबर	3	रविवार से बुधवार
44	स्थानीय पर्व एवं आकस्मिक स्थानीय आवश्यकतानुसार उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तर से निर्धारित किए जाने वाले अवकाश—	—	5	माधे पर्व, बाहा पर्व, चेहल्लुम, जिउतीया, शब्बे-बारात, हरितालिका व्रत (तीज), रमजान का अंतिम शुक्रवार, एरोक पोरोब, हरियाड़ पोरोब, दसाय, बेलबोरोन, नवान्न, इस्टर मंडे, रोजो संक्रांति, ओटोनोमस पर्व, मिशन एवं अन्य पर्व आदि।
कुल अवकाशों की संख्या			60	

नोट—

1. उपरोक्त अवकाश तालिका सभी कोटि के सरकारी/गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) विद्यालयों पर लागू होगा। (आवासीय विद्यालयों को छोड़कर)
2. विभाग मौजूदा मौसम की स्थिति के आधार पर शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन अवकाश की तिथियों में संशोधन कर सकता है।
3. विभाग द्वारा अधिसूचित उर्दू विद्यालयों में साप्ताहिक छुट्टी रविवार के जगह पर शुक्रवार को होगी एवं रविवार को पड़ने वाले अवकाश के दिनों में बंद रहेंगे। ऐसे अवकाश दिवसों की संख्या शुक्रवार को पड़ने वाले अवकाशों के बराबर है।
4. चांद के दृष्टिगोचर होने के अनुसार मुस्लिम त्योहारों के लिए निर्धारित अवकाश की तिथि में परिवर्तन किया जा सकता है।
5. सभी जिलों द्वारा उपरोक्त स्वीकृत वार्षिक अवकाश तालिका को सार्वजनिक रूप से सभी विद्यालयों के अनुपालन हेतु प्रचारित/प्रसारित किया जाएगा। जिला विशेष अपने जिले के स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप 05 दिनों की अवकाश की सूची झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् के राज्य परियोजना निदेशक/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, जे०सी०ई०आर०टी०, राँची को दिनांक 15/01/2025 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।
6. जिला द्वारा निर्धारित किए जाने वाले पाँच दिवसों के अवकाश के अलावा विशेष परिस्थिति में यदि संबंधित जिले के उपायुक्त अथवा विभागीय प्रधान सचिव/सचिव के आदेश के अवकाश घोषित किया जाता है, तो उसकी क्षतिपूर्ति किसी रविवार अथवा अन्य अवकाश के दिनों में पठन-पाठन सुनिश्चित कर करनी होगी।
7. राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन विद्यालय में किया जाना आवश्यक होगा। राष्ट्रीय पर्व को छोड़कर किसी अन्य अवसर पर रैलियाँ/प्रभात फेरी में बच्चे सम्मिलित नहीं होंगे।
8. जिला एवं राज्य स्तर से प्राप्त विभागीय आदेश अथवा शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के आदेशानुसार विद्यालय में यदि कोई विशिष्ट दिवस/समारोह आयोजित किए जाते हैं तो इसे विद्यालय शिक्षण समय अपराह्न 03:00 बजे के बाद आयोजित किए जाएँ।
9. अन्य विभागों द्वारा संचालित जागरूकता/उन्मुखीकरण हेतु आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम हेतु प्रशासी विभाग से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

हस्ताक्षर—

राज्य परियोजना निदेशक, जे० ई० पी० सी०
सह-निदेशक, जे० सी० ई० आर० टी०
राँची

हस्ताक्षर—

प्रभारी सचिव
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
झारखण्ड

सौजन्य—



VERMA PRESS PVT. LTD.

4, R. G. STREET, THARPAKHNA, RANCHI (JHARKHAND) - 834 001

Phone : (0651) 2217945, 2217497, 9431102920, 9431174445, 9234674445

Visit us at www.vermapress.com, e-mail : vermapress@gmail.com